

फर्द अहकाम

(नियम 26)

ज अदालत

अतिरिक्त कलक्टर

मुकाम

देसा

~~लाला~~ लाला

बनाम

सरकार

किस मुकदमा


श.3. डीपी

नं.

132

तारीख

2022

तारीख हुय	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल मय	नम्बर व तारीख हुकम जो इस हुकम की सामील में जारी हुए
28/5/22	<p>आज पीएमसीन अधिकारी महेन्द्र सखी कार्य में वयस्त/अवकाश पर होने से पत आदेश की पालना में पत्रावली दिनांक 12/6/22 को भेज दी।</p>	
12/6/22	<p>आज पीएमसीन अधिकारी महेन्द्र सखी कार्य में वयस्त/अवकाश पर होने से पत आदेश की पालना में पत्रावली दिनांक 19/6/22 को भेज दी।</p>	
19/6/22	<p>अधिकारता कपीलोट उपस्थित पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में नियत दिनांक 24/6/22 को भेज दी।</p> <p><i>[Signature]</i> अतिरिक्त कलक्टर</p>	
24/6/22	<p>अधिकारता कपीलोट उपस्थित पूर्ण आदेश की पालना में पत्रावली वास्तु वयस्त दिनांक 28/6/22 को भेज दी।</p> <p><i>[Signature]</i> अतिरिक्त कलक्टर</p>	
28/6/22	<p>अधिकारता कपीलोट उपस्थित पत्रावली प्रकरण के 18/2023 डनवान लाला बनाम सरकार के साथ पत्र की गई। उक्त प्रकरण में अधिकारता कपीलोट द्वारा कपीलोट लाला पुत्र रेवडमीना की मृत्यु होना व्यक्त करते हुए मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ।</p> <p><i>[Signature]</i> अतिरिक्त कलक्टर</p>	



तारीख
हुक्म


हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियलप जज

घाटे पेश क्रमे पर क्रु नं 155/2018 इनवान
सरकार बनाम लाल्या अ इप तहसीलदार बधरावष्टा
द्वारा पारित निर्णय दिनांक 288-2018 अे आरोपित
शास्त्रि एवं सिविल कारावास की सजा को निरस्त
किया जा चुका है इसलिये पुकरव पर धारु ॥
CPC के क्रैतर्जत Res Judicata लागू होने से
पुनः निर्णय किये जाने का कोचिल नही है पत्रावली
फौसल शुमार की जाकर भन्तर से कम है एवं
अपील नं 18/2023 के लेखन कर बाद पूर्ति
प्रविष्ट कलिके खागा की जाके निर्णय काज
दिनांक 286-2024 का मरे द्वारा खुले न्यायालय
में सुनाया गया)



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official


(सुमित्रा पारीक)
अति. जिला कलक्टर
दौसा (राज.)